प्रकरण संख्या 21/2021 श्रीमती मुन्नीबाई बनाम श्रीमती कल्लुबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली, तहसील मावली में स्थिति आराजी नंबर 2173, 2469, 2470, 2471, 2171, 2172, 2174 कुल किता 7 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मूलपुरूष देवीलाल जी होकर उनका पुत्र मोहनलाल हुआ। मोहनलाल फोत होकर उनके वारिस पुत्री प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 तथा पत्नी सायरीबाई हुई। सायरीबाई फोत हो चुकी है। इस प्रकार विवादित आराजियात मुझ प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 की पैत्रक सम्पत्ति है, जो विरासत से उन्हें प्राप्त हुई है। विपक्षी संख्या 1 ने अपना हिस्सा विपक्षी संख्या 2 व 3 को विक्रय कर दिया है। तत्पश्चात् विपक्षी संख्या 2 ने अपने नाम दर्ज भूमि का विक्रय विपक्षी संख्या 6 को कर दिया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उक्त पैत्रक भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम ज्यादा दर्ज हो जाने से प्रार्थीया को अपने हिस्से से वंचित रखना चाहती है। आराजी नंबर 2171 सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा प्रार्थीया का 20 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है, जिससे एडवर्स पजेशन के आधार पर उसे खातेदार अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अतः विपक्षी संख्या 1 से 3 व 6 को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, न ही रहन, बैह, बक्षीस आदि करें तथा राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विपक्षी संख्या 6 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया विपक्षी ने विवादित आराजी नंबर 2173, 2470, 2471 सम्पूर्ण एवं आराजी नंबर 2171 में 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.07.2011 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, तब से निरन्तर काबिज च[illegible] आ[illegible]ा है। विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रार्थीया ने [illegible] वल्लभनगर द्वारा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:01 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 05.12.1990 में सहमति से पारित डिक्री को जानबूझकर माननीय न्यायालय से छुपाया है, जबकि प्रार्थीया स्वयं उक्त प्रकरण में पक्षकार थी तथा विभाजन के प्रार्थना पत्र पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रार्थीया ने मिथ्या एवं गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 10.03.2021 से प्रार्थीया का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 11.08.2021 को यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सकी। दिनांक 30.07.2021 को नकल प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा करीब 3 माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है एवं देरी का कोई उचित व पर्याप्त कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर RBJ (17) 2010 Page 289 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.03.2021 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 11.08.2021 को प्रस्[illegible] है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस हो[illegible] तक अपील प्रस्तुत हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.05 11:14:01 IST
Reason: SelfAttested

जानी चाहिए थी। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में करीब 3 माह का विलम्ब हुआ है, जिसे प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में कण्डोन किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र बहस के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 को खातेदार मानते हुए निर्णय करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि भूमि मौरूसी है, जिसमें अपीलान्ट का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के समान ही बराबर हक व हिस्सा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट/प्रार्थीया के पक्ष में होते हुए भी अपीलान्ट/प्रार्थीया का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मात्र रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी संख्या 6 के कथनों के आधार पर खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 ने रेकार्डेड खातेदार से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा आपसी सहमति से डिक्री जारी की जा चुकी है, जिसमें अपीलान्ट स्वयं पक्षकार होकर विभाजन के प्रार्थना पत्र पर उसके हस्ताक्षर हैं। अधीनस्थ न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (18) 2011 Page 174, RBJ (13) 2006 Page 21, RBJ (16) 2009 Page 714 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally Signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत न्याय नजीरों का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड अनुसार विवादित आराजियात में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 रतनदास के नाम दर्ज हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 लोगरलाल के पक्ष में कर दिये जाने से विभिन्न नामान्तरकरणों से क्रेता लोगरलाल के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर उक्त समस्त दस्तावेजों का विवेचन करते हुए विपक्षी संख्या 2, 3 व 6 रेकार्डेड खातेदार होने के आधार पर प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया/अपीलान्ट के विरूद्ध मानते हुए उनका अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों की रोशनी में विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 179/2011 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:01 IST
Reason: SelfAttested